पालन-पोषण संबंधी देखभाल

- किसी बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए उसके परिवार को चिकित्सीय, पोषण, शैक्षिक व उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देना ताकि उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- यह उन बच्चों को सक्षम बनाने के लिए तथा उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए है, जिन्होंने आर्थिक अभाव के कारण स्कूल जाना छोड़कर, काम करना शुरु कर दिया है।

वित्तीय मानदंड

- प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 बच्चों को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा सकते हैं।
- आई.सी.पी.एस. बजट के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार के बीच का अनुपात 75:25 है।
- अधिकतम 3 वर्ष या 18 साल की अवधि तक खर्च उठाया जा सकता है।

सहायता के लिए आगे आएं और संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें।

Draft

एक बेघर को दीजिए एक घर का सहारा

unicef | for every child

आइये अनाथ व बेघर को घर दें,
उनके सपनों को दें एक नई उड़ान।

एक बच्चे के लिए संस्थागत नहीं, बल्कि एक घर या परिवार की परवरिश क्यों है जरुरी

लंबे समय तक संस्थागत देखभाल से एक बच्चे को निम्न नुकसान होते हैं-

- बिछड़ जाने की चिंता
- मातृत्व का अभाव
- आत्म-सम्मान की कमी
- भरोसा करने में कमी
- विकास में रुकावट
- भावनात्मक हानि
- शारीरिक शोषण व मानसिक आघात
- समाज से अलगाव
- अंतर-व्यक्तिगत संबंधी समस्या

किसी एक बच्चे को चुन, दिलाएं उसका अधिकार

अनाथ बच्चे की देखरेख के विभिन्न तरीके-

1. गोद लेने के प्रायोजन परामर्श
2. पालन-पोषण संबंधी देखभाल
3. समुदाय आउटरीच कार्यक्रम

गोद लेने के प्रायोजन परामर्श

आप भी एक बेघर को दे सकते हैं एक घर व परिवार-

- बाल कल्याण समिति द्वारा प्रमाणित है कि आप किसी भी 6 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रुप से स्वतंत्र हैं।
- केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक एजेंसियों के द्वारा ही किसी बच्चे को कानूनी तौर से गोद लिया जा सकता है।
- सी.ए.आर.ए. (केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण) भारत सरकार की केंद्रीय नियुक्त प्राधिकरण है और गोद लेने के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय बच्चों को गोद लेने के प्रावधानों के लिए जिम्मेदार है।

आप चाहेंगे तो बेघर को एक घर दे पाएंगे

किसी बेघर या अनाथ बच्चे को अपनाने के लिए संपर्क करें-

- प्रत्याशित माता-पिता ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी.सी.पी.ओ.) के पास जा सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म www.cara.nic.in पर भरा जा सकता है।